न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/3061

पु0प्र0क0 :–

प्रस्तुति दिनॉक :– 16·08·2017

आवेदक / पुनरिक्षणकर्ता :–शशिभूषण आ0 रामशंकर पंडित जाति ब्राम्हण निवासी हरदा तह0 हरदा जिला हरदा म0 प्र0

बनाम

अनावेदक / उत्तरदाता :– डॉ. अशोक कुमार पंडित आ0 श्री रामशंकर पंडित द्वारा मुख्त्यार खास श्रीमति सरोज बाई पत्नि अशोक पंडित जाति ब्राम्हण हरदा जिला हरदा म0 प्र0

पुनर्रिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

पुनर्रिक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय हंडिया जिला हरदा के रा0 प्र0 क0 796 बी 121 वर्ष 2015–16 ग्राम रिजगांव में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 03/06/2017 जिसकी जानकारी दिनॉक 27/06/2017 को प्राप्त होने से व प्रमाणित प्रति दिनॉक 30/06/2017 को प्राप्त कर दुखी एवं असंतुष्ट होकर यह पुनर्रिक्षण याचिका प्रस्तुत करता है।

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/3061

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–8–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अनावेदक के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्तरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	